



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092022-238577
CG-DL-E-03092022-238577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944

No. 427]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

फा. सं. CEA-PS-13-24(55)/1/2022-PSPM Division.—जबकि मेसर्स खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी/105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली-110021 है, ने पारेषण योजना "खावड़ा पीएस से 3 गीगा वाट आर. इ इंजेक्शन की निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना, चरण-I के अंतर्गत" के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/18511/2021 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा पारेषण योजना "खावड़ा पीएस से 3 गीगा वाट आर. इ इंजेक्शन की निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना, चरण-I के अंतर्गत " के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइनों के लिए मेसर्स खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 02.02.2022 (द टाइम्स ऑफ इंडिया और राजस्थान पत्रिका) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 26.02.2022 से 04.03.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 16.05.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना "खावड़ा पीएस से 3 गीगा वाट आर. इ इंजेक्शन की निकासी के लिए ट्रांसमिशन योजना, चरण-I के अंतर्गत " के तहत विद्युत लाइन बिछाने के

लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारिषद योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाइन हैं:

1. खावड़ा पीएस (जीआईएस)-भुज पीएस 765 केवी डी/सी लाइन।

स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

लाइन: खावड़ा पीएस (जीआईएस)-भुज पीएस 765 केवी डी/सी लाइन

राज्य: गुजरात

क्रम संख्या	गांव के नाम	तहसील	जिला
1	ओल्ड करीम शाही बेट, न्यू करीम शाही बेट, सरबेला बेट, तलोचा धोई, शक्ति बेट, सरबेला बेट, धर्मशाला, गैदा बेट, मोरी बेट, मोरी बेट, कुअर बेट	कच्छ	कच्छ
2	कोटडा, सुमरापुर, कुरन, मोटा, धोवना, मोखरा तलाव, पंचम द्विप, टंकान्या, दिनारा, दांडी, बंधो, बंदी, रोटोडिया, बंधो, पंचायत, खत्रडा, कक्कड, कक्कड, लूडिया, अक्कली, गोडपर, सदाई, लाईवारा, सोएला, सरगु, नवा सरगु, पारेती, साबू, रेलदी, भिरंदियारा, होडका, मिसरियाडो, बरोदा झील, जानी तलाव, रावडो तलाव, जटबंध, मिठानीवाडी, लोरीया, वकीलवाडी, झुरा.	भुज	कच्छ
3	वाडी, निरोना, पालनपुर	नखतराना	कच्छ

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारिषद, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- मेसर्स खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है। आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये, जैसा भी मामला हो, माननीय

उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./249/2022-23]

MINISTRY OF POWER
(Central Electricity Authority)

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 2022

F. No. CEA-PS-13-24(55)/1/2022-PSPM Division.—Whereas M/s Khavda Bhuj Transmission Ltd., the applicant with its registered office at C-105, Anand Niketan, New Delhi-110021, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Transmission scheme for evacuation of 3 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-I”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. I/18511/2021 dated 28.10.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Khavda Bhuj Transmission Ltd. for the overhead lines covered under the transmission scheme “Transmission scheme for evacuation of 3 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-I”.

M/s Khavda Bhuj Transmission Ltd. has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 02.02.2022 (Rajasthan Patrika and Katch Mitra) and 03.02.2022 (Indian Express) and in Weekly Gazette of India dated 26.02.2022 to 04.03.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently M/s Khavda Bhuj Transmission Ltd. has submitted an affidavit dated 16.05.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission scheme for evacuation of 3 GW RE injection at Khavda P.S. under Phase-I”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

1. Khavda PS (GIS) - Bhuj PS 765kV D/C line.

The above overhead lines included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

Line: Khavda PS (GIS) – Bhuj PS 765 kV D/c line		
STATE: GUJARAT		
Villages Name	Tehsil	District
Old Karim Shahi Bet, New Karim Shahi Bet, Sarbela Bet, Talocha Dhoi, Shakti Bet, Sarbela Bet, Dharamshala, Gaiinda Bet, Mori Bet, Mori Bet, Kuar Bet	Kachchh	Kachchh
Kotda, Sumrapor, Kuran, Mota, Dhrobana, Mokhara Talav, Pachham Island, Tankanya, Dinara, Dandi, Bandho, Bandi, Rotodia, Bandho, Panchayat, Khavda, Kakkar, Kakkar, Ludiya, Akkli, Godpar, Sadai, Laiwara, Soela, Sargu, Nawa Sargu, Pareti, Sabu, Reldi, Bhirandiyara, Hodka, Misariyado, Beroda Jhil, Jani Talav, Rawado Talav, Jatwandh, Mithaniwadi, Loria, Vakilwadi, Jhura.	Bhuj	Kachchh
Wadi, Nirona, Palanpur	Nakhatrana	Kachchh

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Khavda Bhuj Transmission Ltd. for laying above overhead lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to

placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector/Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Khavda Bhuj Transmission Ltd. shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
- (vii) In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

RAKESH GOYAL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./249/2022-23]